न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 06/2016

प्रार्थी	**बनाम्**	**अप्रार्थी**
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर		भैरूसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी छत्रियो का मोर्चा बालोतरा जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी एक तरफा।

निर्णय दिनांक 28.02.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.11.2015 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी प्रातः 11.00 बजे पुलिस थाना कल्याणपुर से दूरभाष पर इत्तला मिली कि जोधपुर से एक ब समे मावा परिवहन कर बालोतरा लाया जा रहा है। जिसमें मिलावटा का सन्देह है। पुलिस द्वारा उक्त मावे को थाने के माल खाने में रखवाकर जांच हेतु निवेदन किये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय सरकारी वाहन से रात्रि 08.00 बजे कल्याणपुर थाना पहुंचे। थाने में एक आदमी बैठा हुआ था, नाम पता पूछने पर अपना नाम भैरूसिंह पुत्र नैनसिह जाति राजपुरोहित निवासी छत्रीयों का मोर्चा बालोतरा, उक्त मावे का मालिक होना बताया। तथा अपनी बालोतरा में मैसर्स महेश स्वीट होम के नाम से फर्म होना भी बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मावे का निरीक्षण करने पर फीका मावा एक बर्तन में लगभग 11 टीन मावे से भरे हुए पाये गये, जिसमें 5 टीन फीका मावा एवं 6 टीन मीठा मावा था। भैरूसिंह उक्त मावे को आम जनता को विक्रय करने हेतु ले जा रहा था। मावे में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त फीके मावे के 5 टीन में से एक टीन को खोलकर कुल 01 किलो रूपये 200/–नकद भुगतान कर खरीदा। उक्त मावे को चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 20–20 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सिरियल नम्बर पी.612 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.612 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील लगाई गई, जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ कलाकंद नमूना पी. 612 की जॉच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा लेब जोधुपर के क्रमांक एलएस/984/एक्ट/2015/947 दिनांक 20.11.2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना पी.612 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ फीका मावे का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी. 612 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जरिये रजिस्ट्री जारी करने के बावजूद भी अप्रार्थी हाजिर नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. बहस के दौरान् सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 9.11.2015 को पुलिस थाना कल्याणपुर द्वारा जब्त मावा आम जनता को बेचने हेतु ले जाया जा रहा था। मावे में मिलावट होने का सन्देह होने पर नियमानुसार मावे का नमूना लिया जाकर उसकी जांच करवाई गई। जांच के दौरान मावे का नमूना पी. 612 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने बहस एकतरफा सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/984/एक्ट/2015/947 दिनांक 20.1.2015 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा परिवहन कर लाये गये मावे का नमूना पी.612 जांच रिपोर्ट में अवमानक स्तर का पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी भैरूसिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत पाये गये फीके मावे का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी भैरूसिंह पर रूपये 10000/–अक्षरे रूपये दस हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 28.02.2017 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर